निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 65/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्रीमती नाना देवी पत्नी ज्ञानचन्द जाति जाट निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री हिम्मत सिंह आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर, द्वितीय।

2 लाला पुत्र जगन्नाथ जाति जाट, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 78/2021 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 71/2021 ब उनवानी श्रीमती नाना देवी बनाम लाला व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री शिशुपाल जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रामजीलाल चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 09.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 78/2021 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 71/2021 व उनवानी श्रीमती नाना देवी बनाम लाला व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीलाल चौधरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व उनके अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 के आफिस के अन्दर आधे घन्टे तक बैठे हुये थे तथा बाहार आकर प्रार्थी को धमकी दी कि मेरे अधिवक्ता के पीठासीन अधिकारी रिश्तेदार है और अभी हमारी सरकार है और हमने पीठासीन

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी को सेट कर लिया है और हम जल्दी ही हमारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी पर जल्दी आदेश हमारे पक्ष में करवा लेंगे। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

5. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। इससे प्रार्थी के कथन को बल मिलता है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किये जाने पर समहत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 78/2021 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 71/2021 ब उनवानी श्रीमती नाना देवी बनाम लाला व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम मे स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30.07.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में उपस्थित हो।

8. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम व उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर